**Firing by Army during Emergency**

4111. SHRI SURENDRA BIKRAM: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state the number of times the Army had to resort to firing during emergency in the country and the number of persons killed therein?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM): There was no occasion of firing by the Army in aid of civil authorities during the period of internal emergency in the country, except in the counter-insurgency operations in the North-Eastern Region (Nagaland, Mizoram and Manipur) by the Security Forces.

**हरिजनों तथा पिछडे वर्गों के लिए छात्रवृत्तियां**

4112. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार हरिजन तथा पिछड़े वर्ग के स्कूल और कालेजों के छात्रों को छात्रवृत्तियां किस दर के देती हैं ;

(ख) क्या इसके लिए राज्य सरकारों को एक मुश्त राशि दी जाती हैं और यदि हां, तो प्रत्येक राज्य को प्रति वर्ष कितना अनुदान दिया जाता है ।

(ग) क्या सरकार अनुभव करती है कि इंजीनियरी, चिकित्सा और तकनीकी शिक्षा पाने वाले छात्रों को राज्य सरकारें जो छात्रवृत्ति राशि देती है वह अपर्याप्त होती है; और

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इस प्रयोजन के लिए पृथक व्यवस्था करने का है ताकि वे छात्र अपना अध्ययन बिना कठिनाई के पूरा कर सकें ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों में (1) सभी अनिवार्य शुल्कों आदि की प्रतिपूर्ति और (2) निर्वाह भत्ता जो अध्ययन के पाठ्यक्रम पर निर्भर करता है और छात्र चाहे छात्रावास में रहता है अथवा बाहर शामिल हैं । विभिन्न पाठ्यक्रमों जो चार श्रेणियों में वर्गीकृत किए गए हैं, के लिए देय निर्वाह भत्ते की अलग-अलग दरें अनुलग्नक 1 में दी गई हैं [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 769/77]

स्कूलों में हरिजनों और पिछड़े वर्गों के छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान करना एक राज्य क्षेत्र का कार्यक्रम है और अलग राज्यों में अलग-अलग दरें हैं ।

(ख) जबकि मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों के लिए राज्य सरकारों को एक मुश्त अनुदान दिये जाते हैं, मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्तियों के लिए केन्द्रीय सहायता ब्लाक अनुदानों/ब्लाक ऋणों के रूप में दी जाती है ।

1976-77 के दौरान मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों के लिए राज्य सरकारों को दिया गया राज्य-वार आवंटन अनुलग्नक 2 में दिया गया है [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 769/77]

(ग) और (घ). मामला विचाराधीन है ।

**Bridge over Baitarani River**

4113. SHRI GOVINDA MUNDA: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under consideration of the Central Government to construct a bridge on Baitarani River in Anandpur, Kenjagarh, Orissa; and

(b) if so, details thereof?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) and (b). The proposed bridge will fall on the Anandpur-Bhadrak road. It is a State road and the State Government are, therefore, primarily concerned with this project. A Central loan assistance of Rs. 90 lakhs has, however, been agreed to for this project.

**Paper Mill in Aizawl**

4114. DR. R. ROTHUAMA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government propose to set up a Paper Mill at Hortoki in the Aizawl district of Mizoram;

(b) if so, when; and

(c) if not, whether Government have any proposals under consideration to set up Paper Mills in Mizoram in view of the fact that bamboos of different varieties are found in abundance throughout Mizoram, even to the extent of meeting a large part of the country's requirements in paper?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GORGE FERNANDES): (a) to (c). Government of India has no proposal to set up a paper mill at Mizoram. However, the Government of Mizoram have applied for a Letter of Intent to set up a paper mill at Bairabi in Aizawl district with a capacity of 64,000 tonnes per annum based on the local raw material. They have submitted an application for the grant of letter of intent for the project and it is under consideration.

**बिहार में कृषि और सिंचाई के लिए बिजली की आवश्यकता**

4115. **श्री वीरेन्द्र प्रसाद** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में कृषि और सिंचाई के लिये कुल कितने मैगावाट बिजली की आवश्यकता है और राज्य को कितने मैगावाट बिजली सप्लाई की जा रही है ;

(ख) क्या यह सच है कि बिजली के अभाव में 90 प्रतिशत गरमी की फसल नष्ट हो गई है ; और

(ग) कृषि-भूमि में सिंचाई के लिये बिजली उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की जा रही है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) मैगावाट में अभिव्यक्त की गयी बिजली किसी नियत समय में बिजली की मांग की माप है । एक निश्चित कालावधि में बिजली के उत्पादन तथा विभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओं में इसके वितरण को मैगावाट मे बता पाना संभव नहीं है । कृषि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता की दृष्टि से, बिहार मे उत्पादन क्षमता में कोई कमी नहीं है । तथापि व्यस्ततम काल में कुछ 'लोड शैडिंग' होती है किन्तु प्रतिदिन कम से कम 8 से 12 घंटे के लिए कृषि पम्पों को बिजली सप्लाई की जा रही है ?

(ख) राज्य सरकार से प्राप्त संदेश के अनुसार, ऐसी कोई सूचना नहीं है कि बिजली न होने के कारण लगभग 90 प्रतिशत ग्रीष्मकालीन फसल बर्बाद हो रही है ।

(ग) अतिरिक्त उत्पादन क्षमता के लिए मंजूरी दे दी गई है और इसका निष्पादन विभिन्न चरणों में है । इससे पांचवी योजना के शेष वर्षों में तथा छठी योजना में लाभ प्राप्त होगा । छठी योजना में शुरू करने के लिए भी स्कीमें तैयार की जा रही हैं और उन पर कार्रवाई की जा रही है । उत्पादन और वितरण हेतु वर्ष 1977–78 के लिए 60.80 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गयी है ।

ग्राम विद्युतीकरण संबंधी राज्य की वर्ष 1977–78 की वितरण स्कीमों के लिए,